दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 19-07-2025

दोबारा याचिका लगाई, हाई कोर्ट ने लगाया 25 हजार दंड

ब्लैक लिस्टेड कंपनी ने याचिका में सिर्फ प्रार्थना बदली

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एक दवा कंपनी द्वारा दाखिल याचिका को वापस लेने की अनुमति तो दे दी, लेकिन याचिकाकर्ता की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। राशि जशपुर के शासकीय दृष्टिबाधित बालक-बालिका विद्यालय को देने के निर्देश दिए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बार-बार दोषपूर्ण याचिका लगाकर कोर्ट का बेशकीमती समय बर्बाद किया।

राज्य सरकार ने हेपरिन सोडियम इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी को 16 जून 2025 को तीन वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी, इसमें राज्य सरकार के आदेश को निरस्त करने की मांग की गई थी। इसके अलावा कंपनी को भविष्य में सरकारी निविदाओं में भाग लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान पता चला कि इस संबंध में याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी थी। दूसरी बार संशोधित याचिका लगाई गई है। राज्य सरकार की तरफ से आपत्ति उठाई गई कि याचिका में आधार वही रखे गए हैं जो पहले से खारिज याचिका में थे। कंपनी ने सिर्फ प्रार्थना बदलकर दोबारा वही मामला उठाया।